

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल । जिला गणपत।

दीर्घकोन अधिकार- मन्वेव, आर २ रर।

पुस्तक संख्या - 2/24 प्रां.पत्र

- श्री हेक्टरवाल 5/0 थी भेडा गाट निगरी- गारवार वरसीध- गण्डल

-प्रांती

बनाम


- श्री बंजाराबशी सुखदेव गाट निगरी- गारवार वरसीध- गण्डल [द्वितीय]
एवर्गकिंद भोवपा संबंध

-तारकीपण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक:- 07-05-24

::आदेश::

प्रार्थी को ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर  किया कि
गन वेसवा पत्वार हत्का वेसवा तहसील गण्डल में उसके खाते प्रो.सु.व। खाते की
बनवाई नं० 2682/1069 कुल कित। 0.1 रकबा 0.543.8 हेक्टर पर स्थित है। बादप्रस्त भूमि
के विचिनण के नब्य आसजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होरा
रहता है। चिन्हने प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-02-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
अन्तर्गतार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादप्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का
अधिकारी है। देते नी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए
नेर्निक को न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम वेसवा पत्वार
हत्का वेसवा तहसील गण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2682/1069
कुल कित। 0.1 रकबा 0.543.8 हेक्टर पर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये
जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वेसवा
नं० 500 उपये / - कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारण की भौजुदगी में गौके व कब्जे
की पत्थरगढी को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर
पत्थरगढी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल



नोटिफिके - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की
जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

धीरालीन अधिकारी- मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 21/24 प्राणपत्र

1- श्री लेहलाल s/o श्री गोडावाट गिनारी नाहरगढ़ तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री रेगलाल s/o श्री सुखदेव वाट गिनारी नाहरगढ़ तहसील-माण्डल [विपक्षी]
(सुवर्णांकित प्राणपत्र संलग्न)

-विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक- 07-05-24


::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम...~~लेसवा~~...पटवार हल्का...~~लेसवा~~...तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 2682/1069...कुल किता...0.1...रकबा...0.5438 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीय के मध्य आराजी युतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।


प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 02-02-24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम...~~लेसवा~~...पटवार हल्का...~~लेसवा~~...तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 2682/1069...कुल किता...0.1...रकबा...0.5438 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अगिलेख निरीक्षक...~~लेसवा~~...को...500...रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पदाकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फराल खाडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल